

अदालत
दुबम की तारीख
जारी दुबम

दुबम या कार्यवाही मय इनिशियल्स पाज

दुबम तारीख
नंबर म
तारीख

11/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपने
द्वारा कैम्प नोटी में पेश हुई। वादी के
वकील द्वारा वाद संख्या 92/2017 में
लोक अदालत की भावना से अर्पि का
विभाजन हो जाने से अर्पि द्वारा अल्गाई
निषेधाज्ञा का अर्चना पत्र आगे चलाना
नहीं चाहता। अतः अर्पि के वकील श्री
हिमंत राम सोलंकी द्वारा अर्चना पत्र
विद्रोह किये जाने से पत्रावली फैसल (रकरीज)
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास लोक अदालत
में आज दिनांक 11/5/2018 को खुले न्यायालय
में हुनाचा गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली